"अति-आवश्यक"

राजस्थान सरकार

निदेशालय : राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.1(ए) 125/पार्ट–4/संस्था/बीमा/2019/ दिनांक 06-12-2019

आदेश 443

राज्य सरकार द्वारा शासन मे शूचिता एवं नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से देने हेतु समय–समय पर आदेश जारी किये जाते रहे है। इसी प्ररिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आमजन/राज्य कर्मचारियों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आम नागरिकों को समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप से दिये जाने के के स्पष्ट निर्देश दिये गये है।

परन्तु यह देखने में आया है कि विभाग के विभिन्न जिला कार्यालयों में राज्य कार्मिकों के विभिन्न प्रकार के दावों का समयबद्ध एवं त्वरित गति से निस्तारण नहीं करने के कारण उनके द्वारा विभिन्न माध्यमों से यथा सी.एम. हैल्प लाइन, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, राजस्थान संपर्क पोर्टल, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग एवं माननीय मुख्यमंत्री/मंत्री महोदय के जनसुनवाई कार्यक्रमों में शिकायतें दर्ज करवायी जाती है, जिससे विभाग की छवि धूमिल होती है एवं उच्चाधिकारियों द्वारा भी कार्मिकों के दावें समय पर निस्तारित नहीं होने पर नाराजगी एवं गंभीरता से लिया गया है तथा **उक्त योजनाओं की क्रियान्विति समयबद्ध तरीके से नहीं करने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।**

राज्य बीमा विभाग द्वारा भी राजस्थान सरकार के आदेशानुसार राज्य कर्मचारियों को सामाजिक एवं आर्थिक आवरण प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती है यथा राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एवं साधारण बीमा योजना की विभिन्न योजनाओं के साथ मेडिक्लेम योजना सम्मिलित है। इन योजनाओं के अनेंक प्रकरण निस्तारण के अभाव में लंबित है।

अतः विभाग के समस्त अधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में राज्य कर्मचारियों से संबंधित 3 माह से लंबित एवं उत्पन्न होने वाले दावों यथा राज्य बीमा परिपक्वता, मृत्यु एवं अर्ध्यपण स्वत्व/ प्रावधायी निधि के अन्तिम भुगतान एवं स्थायी आहरण/साधारण बीमा निधि के अन्तर्गत विभिन्न दावों एवं विधार्थी दुर्घटना बीमा /मेडिक्लेम योजना का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करे एवं **आपके कार्यालय से संबंधित प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री/मंत्री महोदय की जनसुनवाई में संज्ञान में आने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियमों के अंतर्गत कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जायेगें।**

अतः आप आपके कार्यालय में मृतक कार्मिको के लंबित राज्य बीमा, प्रावधायी निधि, साधारण बीमा निधि से संबंधित मृत्युं स्वत्व दावों का अविलम्ब निस्तारित करे एवं सी.एम. हैल्प लाईन एवं राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का निस्तारण शून्य किया जावे एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित प्रतिवेदन भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

यदि विभागीय कार्यालयों में उक्त लंबित प्रकरणों के निस्तारण में पर्यवेक्षणीय लापरवाही एवं शिथिलता बरतने पर संबंधित अधिकारी सीधे तौर पर उत्तरदायी होगा।

(आनन्द स्वरूप)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ.1(ए) 125/पार्ट–4/संस्था/बीमा/2019/10832-82 दिनांक 06-12-2019

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. **वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (राज्य बीमा/प्रावधायी निधि/एनपीएस/सतर्कता/साधारण बीमा निधि) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय/साधारण बीमा निधि कार्यालय जयपुर को निर्देश है कि आपसे संबंधित योजनाओं के लंबित प्रकरणों के निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित करे एवं पर्यवेक्षणीय दायित्व निर्वहन को गंभीरता से लिया जाये।**
4. **समस्त अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहाय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्याल जयपुर/साधारण बीमा निधि/संभागीय/जिला कार्यालय को हिदायत है कि आपके अधीनस्थ कार्यालय में लंबित प्रकरणों के निस्तारण में देरी एवं लापरवाही के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें।**
5. निजी सचिव, निदेशक, मुख्यालय जयपुर।

(के.एम. दूड़िया) 6/12/19
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर

C:\Users\HP\Desktop\6-12-19 (1) raja babu.doc